

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
बाराणसी मण्डल बाराणसी

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक : एन०ओ०सी०/

/ 2013-14 दिनांक

२५/१२/२०१३

विषय— एल०एस०एस० नेशनल पब्लिक स्कूल नरौड़ी जौनपुर को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से  
सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए।

#### महोदय

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आवश्यक करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित अतिव्यवहारों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रवर्थ समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अन्तर्राष्ट्रीय जाति/जनजाति के भेदावाही वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/वैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय नायमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एज्यूकेशन नई दिल्ली/वैसिक फार दि इण्डियन स्कूल स्टॉफिकेट इकाजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों वा राज्यकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्य सेवामिट्रिल का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं के रूप जायेगा।

*Principal*  
Principal

L.S.S. National Public School  
Narauli, Jaunpur

9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र दापत ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा०(उत्तम गुलाटी)  
सचिव, मण्डलीय समिति/  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ०स० / एन०ओ०स०/

०।५६-५३

/ 2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, साम्यानिक शिक्षा उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (गा०) उ०प्र० लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक जौनपुर।
5. निरीक्षक, आग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
6. प्रबन्धक, एल०एस०एस० नेशनल पब्लिक स्कूल रोली जौनपुर।
7. गार्ड फाइल हेतु।

४/२५.१२.१३

डा०(उत्तम गुलाटी)  
सचिव, मण्डलीय समिति/  
संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल वाराणसी

*C. S. S.*  
Principal

L.S.S. National Public School  
Narauli, Jaunpur